

// श्रृंगाराम विश्वविद्यालय, निलासपुर [म0प्र0] //

क्रमांक 2148 /प्रशासन/स्थापना/96.

दिनांक 20.9.96.

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.9.96 में म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22-1973) की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिए गये निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायि गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अवधि विहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम 3। एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

क्र0	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ श्रीमती रश्मी अग्रवाल व्याख्याता	2200-75-2800- 100-4000		फारेस्ट्री	
2.	डॉ शिव शंकर धूरिया	--//--	--//--	--//--	सुरक्षित पद [ओ0बी0सी0]

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

[प्रो0 एच0एल0 शुक्ता]

कुलसचिव,

दिनांक 20.9.96.

प्रतिलिपि :-

- (1)-II
(2) डॉ श्रीमती रश्मी अग्रवाल
डॉ शिव शंकर धूरिया

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रभाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रभाण-पत्र, यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक या अनापत्ति प्रभाण-पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

2 . . .

- {12} कुलाधिपति के सचिव, म०प्र० राजभवन भोपाल.
सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली.
{13} प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० शासन भोपाल.
{14} वित्ताधिकारी, गुरु बासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर.
{15} कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ.
{16} उप-कुलसचिव{प्रशासन विभाग} गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना है।
{17}


कुलसचिव,

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर {म०प्र०}